राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प. 23 (17) परि/प्र0नि0/योजना/2017/पार्ट-1/13964 जयपुर, दिनांकः02/07/18

आदेश

विषयः- राजस्थान मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) - 2017 के सरलीकरण के संबंध में।

राजस्थान मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) - 2017 के विभिन्न प्रावधानो के सरलीकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. उक्त योजना के प्रावधान संख्या 3 (i) (क) के अन्तर्गत पैट्रोल पंप संचालक द्वारा प्रदूषण जांच केन्द्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन करने की स्थिति में संबंधित पैट्रोलियम कंपनी का अनुशंसा पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

   वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 13029/1985 एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य के प्रकरण में प्रदत्त आदेश दिनांक 10.08.2017 में समस्त पैट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केन्द्र आवश्यक रूप से स्थापित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इन निर्देशों के उपरांत अब प्रदूषण जांच केन्द्रों को स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन के साथ संबंधित पैट्रोलियम कंपनी का अनुशंसा पत्र प्राप्त किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

   अतः राजस्थान मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) - 2017 के प्रावधान संख्या 3 (i) (क) के अन्तर्गत प्रदूषण जांच केन्द्र को स्थापित किये जाने के आवेदन के साथ संबंधित पैट्रोलियम कंपनी का अनुशंसा पत्र प्राप्त किये जाने का प्रावधान विलोपित किया जाता है।

2. उक्त योजना के प्रावधान संख्या 3 (i) (ख) के अन्तर्गत प्रदूषण जांच केन्द्र के आवेदन के साथ प्रदूषण जांच उपकरण क्रय किये जाने की Undertaking दिया जाने का प्रावधान विलोपित किया जाता है।

3. उक्त योजना के प्रावधान संख्या 4 (i) के अन्तर्गत प्रदूषण जांच केन्द्र के प्राधिकार पत्र को नवीनीकरण के समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुराने प्राधिकार पत्र को कार्यालय में जमा करते हुए नया प्राधिकार पत्र ज़ारी किया जावे।

Desktop\pollution\poll_ltr

4. उक्त योजना के प्रावधान संख्या 23 के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की समाप्ति के उपरांत अगले 7 दिवस Grace Period दिया जावेगा। इस अवधि में वाहन स्वामियों द्वारा बिना पैनल्टी राशि के वाहन की प्रदूषण जांच कराई जाकर नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः प. 23 (17) परि/प्र0नि0/योजना/2017/पार्ट–1/13965-972 जयपुर, दिनांक 02/07/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री पी.एन. शर्मा, डी.जी.एम, REIL को नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान हेतु।
7. अध्यक्ष, राजस्थान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, पैट्रोलियम हाउस, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला परिवहन अधिकारी (प्र.नि.)

Desktop\pollution\poll_ltr